समाहरणालय, बक्सर

(आपूर्ति शाखा)

फोन नं0–(06183)222335(R),222336(O)
ई–मेल – dm-buxar.bih@nic.com

मो0 नं0– 8544426112
ई–मेल – dsobuxar1@gmail.com

योगेश सागर, भा0प्र0से0, उप विकास आयुक्त, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 11.06.2021 को आयोजित रबी विपणन मौसम 2021–22 अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य के समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

➢ **गेहुँ अधिप्राप्ति से संबंधित समीक्षा** :– जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 11.06.2021 तक 1881 किसानों से 11195.8 एम0टी0 गेहूँ अधिप्राप्ति की गई है। जिसमें 1637 किसानों का भुगतान किया गया है एवं 244 किसानों का एडभाईस जेनरेट कर भुगतान हेतु बैंक को भेजा गया है। अधिप्राप्ति किये गये गेहूँ 5427 एम0टी0 राज्य खाद्य निगम बक्सर को हस्तांतरित किया गया है। समीक्षा के क्रम में इच्छुक किसानों में से वैसे इच्छुक किसान जिनका किसान सलाहकार से सर्वे उपरान्त गेहूँ पाया जाता है तो वैसे किसानों का प्राथमिकता के तौर पर अधिप्राप्ति कराना एवं वैसे इच्छुक किसान जिनका सर्वेपरान्त गेहूँ नहीं पाया जाता है तो वैसे किसानों को विभागीय वेबसाईट से हटाने का निदेश जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया गया।

(अनुपालन :– किसान सलाहकार / सहप्रखण्ड कृषि पदाधिकारी / जिला कृषि पदाधिकारी / सहकारिता प्रसार पदाधिकाकरी / जिला सहकारिता पदाधिकारी / जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम)

➢ **पैक्स / व्यापार मंडल के लक्ष्य पर विचार विमर्श** :–जिला सहकारिता पदाधिकारी के पत्रांक 528 / दिनांक 10.06.2021 के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर इच्छुक किसानों / निबंधन किसानों से अधिप्राप्ति करने हेतु कुल 26 पैक्स / व्यापार मंडलों के पूर्व के संभावित लक्ष्य में वृद्धि का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। जिसमें से 22 पैक्स / व्यापार मंडलो में इच्छुक किसानों से तथा 04 पैक्स / व्यापार मंडलों मे निबंधित किसानों से क्रय किया जाना है। इस हेतु उक्त पैक्स / व्यापार मंडलों का पूर्व के सम्भावित लक्ष्य में वृद्धि करने का निर्णय लेते हुए इच्छुक किसानों वाले पैक्स / व्यापार मंडलों को विशेष अतिरिक्त कैश क्रेडिट उपलब्ध कराने हेतु जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रबंध निदेशक केन्द्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड, आरा से समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र सी0सी0 उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिसका विवरणी निम्नवत् है।

पैक्स / व्यापार मंडलों का संशोधित लक्ष्य

क्र. सं.	प्रखण्ड का नाम	समिति का नाम	अब तक क्रय किये गये गेहूँ की मात्रा (मे0 टन)	अतिरिक्त दिया गया लक्ष्य	संशोधित कुल लक्ष्य	पूर्व का दिया गया लक्ष्य	लक्ष्य में बढ़ोतरी	अधियाचित सी0सी0 (लॉट में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ब्रह्मपुर	पोखराहाँ पैक्स	108	27	135.00	505.89	0	1
2	बक्सर	करहँसी पैक्स	135	108	243.00	119.82	123.18	4
3		बरूना पैक्स	189	54	243.00	119.82	123.18	0 (इच्छुक किसान वाले समिति नही है)

4	चक्की	जवही दियर पैक्स	81	27	108.00	159.83	0	1
5		अरक पैक्स	81	27	108.00	79.92	0	0 (इच्छुक किसान वाले समिति नही है)
6	चौसा	रामपुर कला पैक्स	193.3	81	274.30	181.2	93.1	3
7		सरेंजा पैक्स	243	81	324.00	362.4	0	3
8		पवनी पैक्स	167	81	248.20	181.2	67	0 (इच्छुक किसान वाले समिति नही है)
9		चुन्नी पैक्स	189	81	270.00	181.2	89	0 (इच्छुक किसान वाले समिति नही है)
10	डुमराँव	अरियॉव पैक्स	136.56	27	163.56	193.99	0	1
11		चिलहरी पैक्स	139	27	166.00	193.99	0	1
12		कनझरूऑ पैक्स	243	108	351.00	581.96	0	4
13		कसियॉ पैक्स	105.5	27	132.50	193.99	0	1
14		नुऑव पैक्स	31	27	58.00	193.99	0	1
15		डुमरॉव व्यापार मण्डल	281	27	308.00	1285.99	0	1
16	इटाढ़ी	अतरौना पैक्स	54	54	108.00	262.39	0	2
17		बड़का गॉव पैक्स	81	27	108.00	524.78	0	1 (अधियाचित सी0सी0 नारायण पुर पैक्स के इच्छुक किसानों के लिए)
18		बसॉव कला पैक्स	167	54	221.00	262.39	0	2
19		बिझौरा पैक्स	135	54	189.00	262.39	0	2
20		हकीमपुर पैक्स	108	54	162.00	262.39	0	2
21		हरपुर जयपुर पैक्स	162	27	189.00	262.39	0	1
22		इटाढ़ी पैक्स	54	27	81.00	262.39	0	1
23		कुकुढ़ा पैक्स	135	27	162.00	262.39	0	1
24		उनवास पैक्स	140	54	194.00	262.39	0	2
25	राजपुर	कैथहर कला पैक्स	108	135	243.00	213.88	29.12	5
26		सिकठी पैक्स	162	189	351.00	213.88	137.12	7
कुल योग–			3629	1512	5140.56	7586.85	662	47

(अनुपालन :– जिला सहकारिता पदाधिकारी)

➢ **<u>राज्य खाद्य निगम द्वारा पैक्स/व्यापार मंडलों को भुगतान संबंधित समीक्षा</u>** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अब तक राज्य खाद्य निगम, बक्सर को कुल 55159.76 सी0एम0आर0 तथा 5427 एम0टी0 गेहूँ पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा हस्तगत कराया गया है, जिसका शत प्रतिशत भुगतान राज्य खाद्य निगम द्वारा नहीं किया गया है। इस संबंध में जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम को निदेशित किया गया कि 24 घंटे के अन्दर बकाये राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें। साथ ही पैक्स/व्यापार मंडलों से 15 जून 2021 तक सी0एम0आर0 पूर्ण रूपेण लिया जा सके, इसके लिए व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :– जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम)

➢ **S.T.R. <u>से संबंधित समीक्षा</u>** :– जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, बक्सर द्वारा बताया गया कि अब तक कुल 232 लॉट गेहूँ का एस0टी0आर0 निर्गत किया जा चुका है जिसमें 201 लॉट गेहूँ राज्य खाद्य निगम के गोदामों में जमा कराया गया है। शेष 31 लॉट गेहूँ जमा कराने हेतु जिला सहकारिता पदाधिकारी/प्रखण्ड प्रसार पदाधिकारी को शीघ्र राज्य खाद्य निगम के गोदाम में जमा कराने हेतु निदेशित किया गया। तथा जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, बक्सर को निदेशित किया गया कि पहले आओं पहले पाओं के सिद्धांत पर एस0टी0आर0 निर्गत करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :– जिला सहकारिता पदाधिकारी/सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/ जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम)

➢ **<u>गेहूँ अधिप्राप्ति का प्रचार–प्रसार करने से संबंधित समीक्षा</u>** :– जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को अधिप्राप्ति कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार जिला कृषि पदाधिकारी/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार एवं कार्यपालक सहायकों के सहयोग से किसानों से गेहूँ अधिप्राप्ति करने हेतु जागरूकता फैलाने एवं **कोविड 19** के तहत् जारी गाईड लाईन का भी अनुपालन करने का निदेश दिया गया।

अंत में सधन्यवाद् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
बक्सर

उप विकास आयुक्त
बक्सर।

ज्ञापांक 04-593/आ0, दिनांक 12/06/2021

प्रतिलिपि– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी/सभी प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी/सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एवं आई0 टी0 मेनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, आरा केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0/सहायक निबंधक, सहयोग समितियॉ, बक्सर/डुमरॉव/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियॉ, बक्सर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव/जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, बक्सर/जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर/सभी वरीय उप समाहर्त्ता, बक्सर/जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अधिप्राप्ति उप समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अपर समाहर्त्ता, बक्सर–सह–नोडल पदाधिकारी, अधिप्राप्ति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, बक्सर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि– आयुक्त पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

12-6

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
बक्सर

उप विकास आयुक्त
बक्सर।